भारत सरकार

विद्युत मंत्रालय

****

लोक सभा

तारांकित प्रश्न संख्या - 12

जिसका उत्तर दिनांक 02 फरवरी, 2023 को दिया जाना है

विद्युत की मांग में वृद्धि

***12. श्री संजय काका पाटीलः**

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या वर्ष 2022 में 203 दिनों की रिकॉर्ड लू चलने के अनुभव के संबंध में भविष्य में बिजली की बढ़ी हुई मांग को पूरा करने के लिए कोई कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार का गर्मियों के दौरान बार-बार बिजली जाने की समस्या से निपटने के लिए कोई नीति बनाने का विचार है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री
(श्री आर.के. सिंह)

(क) से (घ) : विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

****

<u>विवरण</u>

"विद्युत की मांग में वृद्धि" के बारे में लोक सभा में दिनांक 02.02.2023 को उत्तरार्थ तारांकित प्रश्न संख्या 12 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में उल्लिखित विवरण।

****

(क) से (घ): भारतीय विद्युत प्रणाली ने जून 2022 में 211.6 गीगावॉट की रिकार्ड विद्युत मांग को पहले ही पूरा कर लिया है। वर्तमान वर्ष 2023 के दौरान, ग्रीष्म ऋतु में विद्युत की मांग लगभग 225 गीगावाट होने की संभावना है। विद्युत की बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं:

(i) उत्पादन क्षमता की उपलब्धता सुनिश्चित करने के उपाय किए गए हैं। उत्पादक उच्च मांग की अवधि से पहले अपने संयंत्रों का अनुरक्षण पूरा कर लेंगे। उच्च मांग अवधि (यथा अप्रैल से मई, 2023) के दौरान कोई योजित अनुरक्षण नहीं किया जाएगा।

(ii) कोयले के उत्पादन में वृद्धि तथा यथासंभव अधिक से अधिक प्रेषण के लिए कोयला और रेल मंत्रालयों के साथ नियमित आधार पर निगरानी और समन्वय।

(iii) सभी उत्पादकों को सम्मिश्रण के उद्देश्य से कोयले का समय पर आयात करने को कहा गया है ताकि संयंत्र में पर्याप्त मात्रा में कोयले का स्टॉक बना रहे।

(iv) सभी कैप्टिव कोयला ब्लॉकों को स्वदेशी कोयला कंपनियों (सीआईएल और एससीसीएल) से कोयला आपूर्ति के अनुपूरण के लिए अधिकतम कोयला उत्पादन करने को कहा गया है।

(v) विद्युत की उच्च मांग वाले महीनों के दौरान, गैस आधारित स्टेशनों के संचालन के लिए गेल से गैस की अतिरिक्त व्यवस्था करने की योजना बनाई गई है।

(vi) विद्युत संशोधन नियम, 2022 को दिनांक 29 दिसंबर, 2022 को अधिसूचित किया गया है, जिसमें संसाधन पर्याप्तता योजना तैयार की जानी अधिदेशित है ताकि उपभोक्ताओं की विद्युत की मांग को सफलतापूर्वक पूरा किया जा सके।

****